

सं० सं० 14/एम 11-2/14  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 04.2.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र०सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	चन्द्रावती देवी पति-राम कृपाल प्रसाद ग्राम-पसनौली पो०+थाना-महराजगंज जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	भुनेश्वर तिवारी पिता-स्व. सिया राम तिवारी ग्राम+पो०-बरीसवन थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर आरा	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,45,000/-

- उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 1,45,000/- ( एक लाख पैंतालीस हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 819841 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।


4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन  
ह0/-  
(डा0 राजधारी रंजन )  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक पटना, दिनांक  
प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 ~~879841~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 188 (14) पटना, दिनांक - 12-2-15  
प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
11/02/15

सं० सं० 14/एम 11-2/14  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 4.2.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	चन्द्रिका यादव पिता-मौजी यादव ग्राम-हथमंडल पोस्ट-इटहरी थाना-सलखुआ जिला-सहरसा	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	सकीना खातुन पिता-कासीम अंसारी ग्राम-खरहट पोस्ट+थाना-भैरवगंज जिला- प० चम्पारण	हृदय रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			₹ 75,000/- (पचहतर हजार)

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/- (पचहतर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 819838..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन  
ह0/-  
(डा0 राजधारी रंजन)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 849838 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 185 (14)

पटना, दिनांक - 12-2-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों का/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

11-02-15

सं० सं० 14/एम 11-2/14  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,

पटना मेडिकल कालेज अस्पताल,

पटना 800004।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 4.2.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कुन्ती देवी पति-फौदारी सहनी मोहल्ला-बाजार समिति, पंचवटी नगर, पोस्ट-राजेन्द्र नगर थाना-बहादुरपुर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
2	जलीया खातुन पति-मो० समीद साफी ग्राम-रामपुर पोस्ट-लालपुर थाना-छातापुर जिला-सुपौल	कैंसर रोग	₹ 11,000/- (ग्यारह हजार) स्वीकृत।
3	गणेशा देवी पति नथुनी साह ग्राम-विलासपुर पोस्ट-हरिनगर थाना-रामनगर जिला-प० चम्पारण	कैंसर रोग	₹ 12,000/- (बारह हजार) स्वीकृत।
4	सुषमा देवी पति-राज किशोर प्रसाद ग्राम-जुम्मा मस्जिद, इमलीतल पो०-दानापुर कैंट थाना-दानापुर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 63,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 63,000/- ( तीरसठ हजार ) का क्रास चेक सं०.....849834  
.....मूल रूप में संलग्न है।



सं० सं० 14/एम 11-2/14  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक  
महावीर कैंसर संस्थान,  
फुलवारीशरीफ, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय:—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकत समिति की दिनांक 04.02.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित 90 मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विनोद राम पिता—जगदीश राम ग्राम—बरगांव पो०+थाना+जिला—नालंदा एम०सी०एस—डी 62659	कैंसर रोग	₹ 20,000/—(बीस हजार) स्वीकृत।
2	दिलिप राम पिता—स्व. उत्तीम राम ग्राम—पटेढ़ी जलाल पोस्ट—इसरौली थाना—मढ़ौरा जिला—सारण एम०सी०एस—डी 58575	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000/—(दस हजार) स्वीकृत।
3	नीतु देवी पति—रितेश कुमार यादव ग्राम—पो०—गम्हरीया थाना—टेढ़ागाछ जिला—किशनगंज एम०सी०एस—डी 63493	कैंसर रोग	₹ 20,000/—(बीस हजार) स्वीकृत।
4	उमेश पासवान पिता—स्व. सुकल पासवान ग्राम—ढोगरा घाट पो०—लकुनमा थाना—बौसी बसैठी जिला—अररिया एम०सी०एस—डी 61000	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000/—(दस हजार) स्वीकृत।

